



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्भीपान

R-648-III/13

प्र०क्र०

1-प्रभूलाल आठ रुग्नाथ जाति-कुल्मी

आयु- वयस्क

2-गीताबाई पुत्री रुग्नाथ आयु वयस्क

दोनो नि०ग्राम-पिपलिया कुल्मी

तह०जीरापुर जि० राजगढ़ ।

--- प्रार्थीगण

--- विरुद्ध ---

1-सुगरा-बी पत्नि अब्दुल हमीद , वयस्क

2-अब्दुल सईद आठ स्व. अब्दुल हमीद, वयस्क

3-अब्दुल रशीद आठ स्व० अब्दुल हमीद, वयस्क

4- अब्दुल हफीज आठ स्व० आ०हमीद, वयस्क

5- आ०रईस आठ स्व० आ०हमीद, वयस्क

6- हसीना पुत्री स्व०आ०हमीद, वयस्क

समस्त जाति-पिंजारा स्मिस्त नि०ग्राम -

पिपलिया कुल्मी तह०जीरापुर जि०राजगढ़ ।

7- गंगाराम आठ चुन्नीलाल , आयु-वयस्क

नि०ग्राम-पिपलिया कुल्मी तह०जीरापुर राजगढ़ ।

श्री निरंजन कर्माचार्य
डाय. डा. रा. डा. रा.
दि. 29.1.13
श्री प्रकाश चोपड़ा
प्रस्तुत
29.1.13

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म०प्र०भू रा०सं० 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30/10/12 जो प्र०क्र० 4/बी-121/10-11 में न्याया०श्रीमान् कलेक्टर महो० राजगढ़ जि०राजगढ़ द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है ।

- तथ्य -

रज. किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट

25, हरि निवास दुर्गा चौक
तलैया, भोपाल

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अब्दुल हमीद आ०करीम जाति- पिंजारा नि०ग्राम-पिपलिया कुल्मी हाल मु० पिड़ावा जि०भालावाड़ राजस्थान द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर-जीरापुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसके माते की भूमि पर षडयंत्र पूर्वक बिना प्रार्थी की जानकारी के अवैध रूप से अन्य लोगों के नाम तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के नामांतरण किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-648-तीन/2013

जिला-राजगढ़

प्रभूलाल व अन्य विरुद्ध सुगरा बी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर राजगढ़, जिला-राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 4/बी-121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 23-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>5/19</p>